

Department of Horticulture and Food Processing

Government of Uttar Pradesh

Udhyan Bhawan, 2-Sapru Marg, Lucknow-226001

Telephone - 0522-4044414, 2623277

Email - dirhorti@rediffmail.com

<http://uphorticulture.gov.in>

उत्तर प्रदेश शासन

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग-1

संख्या-511/58-1-2000-100(27)/96

लखनऊ: दिनांक 31 मई, 2000

“अधिसूचना”

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11, सन् 1976) की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) नियमावली 1976 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) प्रथम संशोधन नियमावली-2000

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन लाइसेन्स देना प्रथम संशोधन नियमावली-2000 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।				
नियम 5 का संशोधन	2—उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) नियमावली, 1976 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नियम 5 में नीचे स्तम्भ एक में दिये गए वर्तमान उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया जायगा, अर्थात:-				
स्तम्भ-एक			स्तम्भ-दो		
वर्तमान उपनियम उप नियम (1) के अन्तर्गत आने वाले कोल्ड स्टोरेज से भिन्न कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में लाइसेन्स दिये जाने के लिए एक कलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिये लाइसेन्स फीस निम्नलिखित होगी:-			एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम उप नियम (1) के अन्तर्गत आने वाले कोल्ड स्टोरेज से भिन्न कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में लाइसेन्स दिये जाने के लिए एक कलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिए लाइसेन्स फीस निम्नलिखित होगी:-		
कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने क्षमता	लाइसेन्स फीस		कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने क्षमता	लाइसेन्स फीस	
	उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व और प्रबन्ध में कोल्ड स्टोरेज	अन्य कोल्ड स्टोरेज		उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व और प्रबन्ध में कोल्ड स्टोरेज	अन्य कोल्ड स्टोरेज
1— 282 घनमी० तक	रुपया 55	रुपया 75	1— 282 घनमी० तक	रुपया 1100	रुपया 1500
2— 282 घनमी० से अधिक और 7,000 घनमी० तक	225	300	2— 282 घनमी० से अधिक और 7,000 घनमी० तक	4500	6000
3— 7,000 घनमी० से अधिक और 15000 घनमी० तक	375	500	3— 7,000 घनमी० से अधिक और 15000 घनमी० तक	7500	10000
4— 15000 घनमी० से अधिक	560	750	4— 15000 घनमी० से अधिक	11200	15000
नियम-11 का संशोधन	3— उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ एक से दिये गये नियम 11 के वर्तमान उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ दो दिया गया उप नियम रख दिया जायगा, अर्थात:-				

Department of Horticulture and Food Processing

Uttar Pradesh

Downloaded from www.uphorticulture.gov.in

Internet Copy

Department of Horticulture and Food Processing

Government of Uttar Pradesh

Udhyan Bhawan, 2-Sapru Marg, Lucknow-226001

Telephone - 0522-4044414, 2623277

Email - dirhorti@rediffmail.com

<http://uphorticulture.gov.in>

स्तम्भ-एक			स्तम्भ-दो		
वर्तमान उपनियम उप नियम लाइसेन्स के नवीनीकरण के निमित्त लाइसेन्स फीस निम्नलिखित होगी:-			एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम उप नियम लाइसेन्स के नवीनीकरण के निमित्त लाइसेन्स फीस निम्नलिखित होगी:-		
कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने क्षमता	लाइसेन्स फीस		कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने क्षमता	लाइसेन्स फीस	
	उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व और प्रबन्ध में कोल्ड स्टोरेज	अन्य कोल्ड स्टोरेज		उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व और प्रबन्ध में कोल्ड स्टोरेज	अन्य कोल्ड स्टोरेज
1- 282 घनमी० तक	रुपया 30	रुपया 40	1- 282 घनमी० तक	रुपया 600	रुपया 800
2- 282 घनमी० से अधिक और 7,000 घनमी० तक	130	175	2- 282 घनमी० से अधिक और 7,000 घनमी० तक	2600	3500
3- 7,000 घनमी० से अधिक और 15000 घनमी० तक	225	300	3- 7,000 घनमी० से अधिक और 15000 घनमी० तक	4500	6000
4- 15000 घनमी० से अधिक	375	500	4- 15000 घनमी० से अधिक	7500	10000

आज्ञा से,
ह०/-
(पी० के० झा)
सचिव।

संख्या-511(1)/58-1-2000, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया उपयुक्त अधिसूचना की आगामी असाधारण गजट के विधायी प्रविष्टि के भाग-4, खण्ड'ख' में अवश्य प्रकाशित करा दें।
2. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै०क्षे०), उ०प्र०, लखनऊ।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० (विज्ञापन प्रभाग), लखनऊ को व्यापक प्रचार हेतु।
4. समस्त जिलाधिकारी।
5. समस्त जिला उद्यान अधिकारी।
6. अध्यक्ष, उ०प्र० कोल्ड स्टोरेज, एसोसिएसन, ऐशबाग, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह०/-
(गया प्रसाद कमल)
अनुसचिव।

Department of Horticulture and Food Processing

Uttar Pradesh

Downloaded from www.uphorticulture.gov.in

Internet Copy

Department of Horticulture and Food Processing

Government of Uttar Pradesh

Udhyan Bhawan, 2-Sapru Marg, Lucknow-226001

Telephone - 0522-4044414, 2623277

Email - dirhorti@rediffmail.com

<http://uphorticulture.gov.in>

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र० (मै०क्षे०)
2-सपू मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक- आलू-662 / लाइसेन्स फीस/ दिनांक लखनऊ 14 जून, 2000

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने-अपने जनपद/मण्डलमें व्यापक प्रचार-प्रसार करायें तथा संशोधित लाइसेन्स फीस के अनुरूप ही लाइसेन्स नवीनीकरण/नया लाइसेन्स हेतु आवेदन पत्र अग्रसारित करें।

1. समस्त उप निदेशक उद्यान (मै०क्षे०), उ०प्र०।
2. समस्त जिला उद्यान अधिकारी (मै०क्षे०), उ०प्र०।
3. समस्त अधीक्षक, राजकीय उद्यान (मै०क्षे०), उ०प्र०।
4. समस्त आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी (मै०क्षे०), उ०प्र०।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे प्रदेश में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
6. अध्यक्ष उ०प्र० कोल्ड स्टोरेज एसोसियेशन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
7. निबन्धक, सहकारी समितियां, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रबन्धक निदेशक, पी०सी०डी०एफ०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(एम० एम० सिन्हा)
निदेशक।

Department of Horticulture and Food Processing

Uttar Pradesh

Downloaded from www.uphorticulture.gov.in

Internet Copy

Department of Horticulture and Food Processing

Government of Uttar Pradesh

Udhyan Bhawan, 2-Sapru Marg, Lucknow-226001

Telephone - 0522-4044414, 2623277

Email - dirhorti@rediffmail.com

<http://uphorticulture.gov.in>

:: आदेश ::

मैं, निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग, उ०प्र०, उ०प्र० कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 की धारा-2 (छ) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उ०प्र० के समस्त जिलाधिकारियों को, उनके अधिकार क्षेत्र में उ०प्र० कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 की धारा 7, 14, 24, 25, 28 एवं 40 के लिये लाइसेंसिंग अधिकारी के शक्ति का प्रयोग करने हेतु सशक्त करता हूँ।

ह० /

(शिवराज सिंह तेवतिया)

लाइसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह) एवं
निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग,
उत्तर प्रदेश।

उद्यान एवं फल उपयोग, निदेशालय, उ०प्र०
18 बी, अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक— आलू-1463/सी०एस०-1/

दिनांक लखनऊ 11 जुलाई, 1978

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. उप सचिव, कृषि (4) अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।
4. सूचना निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे प्रान्त के प्रमुख समाचार पत्रों में इसका विस्तृत प्रचार करा दें।
5. उप अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश को अगले गजट में प्रकाशित करा दें।
6. समस्त उप निदेशक उद्यान, उ०प्र०।
7. समस्त जिला उद्यान अधिकारी/आलू विकास अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान, उ०प्र०।

ह० /

(शिवराज सिंह तेवतिया)

लाइसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह) एवं
निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग,
उत्तर प्रदेश।

Department of Horticulture and Food Processing

Uttar Pradesh

Downloaded from www.uphorticulture.gov.in

Internet Copy